कार्यालय संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक–2, तृतीय तल
<u>इंद्रावती भवन, नया रायपुर</u>

क्रमांक– 2038 /खाद्य–संचा/2/2015 नया रायपुर, दिनांक 06/4/ 2015

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में सदस्यों को जोड़ने एवं एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में अंतरित करने के संबंध में ।**

––00––

कृपया विषयांतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं छत्तीसगढ़ खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में सदस्य जोड़ने एवं एक राशनकार्ड से दूसरे राशनकार्ड में अंतरित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. **<u>सदस्य जोड़ने/अंतरित करने हेतु आवेदन प्रकिया</u>** –

1.1 राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप–एक में संबंधित नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत कार्यालय को दिया जावेगा ।

1.2 निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पर्याप्त मात्रा में प्रिंट कराकर सभी नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध कराया जावे ।

1.3 निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जावेगा। अपूर्ण या अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र मान्य नही होगा।

2. **<u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</u>** –

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे –

2.1 राशनकार्ड जिसमें सदस्य जोड़ना है/अंतरित करना है कि छायाप्रति ।

2.2 जिस सदस्य का नाम जोड़ना है उसका आधार कार्ड की छायाप्रति ।

2.3 सदस्य यदि वयस्क है तो मतदाता परिचय पत्र (ईपिक कार्ड) की छायाप्रति ।

2.4 सदस्य यदि अवयस्क है तो जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।

2.5 राशनकार्ड के मुखिया या परिवार के सदस्य का बैंक खाता क्रमांक की जानकारी ।

2.6 सदस्य की पासपोर्ट साईज फोटो।

2.7 आवेदन पत्र में यह घोषणा करना होगा कि सदस्य का नाम अन्य राशनकार्ड में दर्ज नहीं है तथा जिस व्यक्ति का नाम सदस्य के रूप में जोड़ा जाना है वे अपवर्जित सूची में शामिल नहीं है।

3. <u>आवेदन पत्रों का जांच एवं अग्रेषित करना</u> –

3.1 निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों के लिये प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण किया जावेगा (प्राधिकृत अधिकारी तृतीय श्रेणी कार्यपालिक से अनिम्न स्तर का न हो) ।

3.2 आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में टीप सहित आवेदन पत्र मूलतः आवेदक को वापस किया जावे ।

3.3 प्राप्त आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे होने एवं संलग्न दस्तावेज सही पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के सर्वे अनुसार परिवार के सर्वे में उल्लेखत सदस्यों से मिलान किया जावे तथा सही पाये जाने पर परिवार के डेटाबेस की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जावे (जो नगरीय निकाय/ग्राम पंचायत् में उपलब्ध है) ।

3.4 आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र में की गई घोषणा की सत्यता की जांच की जावेगी ।

3.5 आवेदन पत्र एवं दस्तावेज सही पाये जाने पर राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने हेतु ग्राम पंचायत के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जावेगा । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अनुशंसा सहित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा ।

नगरीय निकाय में प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं सही पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुशंसा सहित खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी को अग्रेषित किया जावेगा ।

4. <u>राशनकार्ड में सदस्यों को जोड़ना/अंतरित करना</u> –

4.1 खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण उपरांत सदस्य जोड़ने/अंतरित करने से पूर्व विभागीय वेबसाईट में सर्च कर लिया जावे कि आवेदक का नाम अन्य राशनकार्ड में सदस्य के रूप में दर्ज तो नहीं है। यदि किसी भी राशनकार्ड में

आवेदक का नाम दर्ज नहीं पाये जाने पर विभागीय वेबसाईट में डेटाएंट्री की कार्यवाही की जावेगी।

4.2 यदि आवेदक का नाम विभागीय वेबसाईट के डेटाबेस में अन्य राशनकार्ड में दर्ज पाया जाता है तो टीप सहित आवेदन पत्र जनपद पंचायत/नगरीय निकाय को वापस किया जावे ।

4.3 राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने की डेटाएंट्री के बाद संबंधित राशनकार्ड का पीडीएफ जारी कर प्राधिकृत अधिकारी से हस्ताक्षर एवं सील अंकित कर ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय को प्रदाय किया जावेगा ।

4.4 ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा संबंधित राशनकार्डधारी के राशनकार्ड में उपरोक्त पीडीएफ को संलग्न किया जावेगा ।

5. राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने के संबंध में यदि आवेदक द्वारा झूठी जानकारी देता है या सत्य/साक्ष्य छिपाया जाता है तो उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 तथा भारतीय दंड संहिता 1960 की धारा 193, 463, 467, 468 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है, और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी ।

6. <u>मॉनिटरिंग</u> –

6.1 राशनकार्डो में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने की कार्यवाही की सतत मॉनिटरिंग किया जावे ।

6.2 राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने हेतु सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में परिवार के सदस्यों से मिलान प्रकिया को अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के सर्वेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जावे ।

6.3 वर्तमान में जारी राशनकार्डो की जिले की जनसंख्या से तुलना करके समय–समय पर राशनकार्डो की आकस्मिक जांच आदि की कार्यवाही किया जावे ।

6.4 राशनकार्डो में फर्जी यूनिट न जुड़ पाये इस संदर्भ में विकासखण्डों एवं नगरीय निकायों में प्राप्त आवेदन पत्रों की साप्ताहिक समीक्षा किया जावे ।

कृपया उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.
संचालनालय, नया रायपुर

पृ. क्रमांक– 2039 /खाद्य–संचा/2 /2015 नया रायपुर, दिनांक 06/4/2015

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक माननीय मंत्रीजी छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
4. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, मंत्रालय नया रायपुर ।
6. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर.

संचालनालय, नया रायपुर

प्रारूप–एक

छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने हेतु आवेदन प्रारूप

जिला	–	
विकासखण्ड/नगरीय निकाय	–	
ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	–	
ग्राम/वार्ड का नाम	–	
उचित मूल्य दुकान का नाम	–	
आवेदक का नाम	–	
पिता/पति का नाम	–	
राशनकार्ड के मुखिया का नाम जिसमें सदस्य जोड़ना/अंतरित करना है		
राशनकार्ड का प्रकार	–	
राशनकार्ड क्रमांक	–	
राशनकार्ड अंतरित करने के संबंध में पुराने राशनकार्ड का क्रमांक जिसमें सदस्य का नाम है	–	

राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने का विवरण

क्र.	सदस्य का नाम	लिंग	मुखिया से संबंध	आयु	नवीनतम पासपोर्ट फोटो

आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का विवरण

सदस्य का आधार क्रमांक	
सदस्य का ईपिक कार्ड क्रमांक	
जन्म प्रमाण पत्र क्रमांक	
मुखिया या सदस्य का बैंक खाता क्रमांक	
बैंक का आईएफसी कोड क्रमांक	

घोषणा पत्र

मै यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य का नाम से न तो पृथक से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य राशनकार्ड में दर्ज है । आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती/करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ पूर्णतः सत्य है तथा यह इकरार करती/करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मै भारतीय दण्ड संहिता तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् दण्ड*** का भागी रहूँगी/रहूंगा ।

स्थल ....

हस्ताक्षर (मुखिया)

दिनांक ....

नाम ....

(आवेदक निरक्षर होने पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान साक्षी के समक्ष लिया जाए तथा साक्षी का हस्ताक्षर, नाम एवं पता सहित दर्ज कराया जाए)

सत्यापन

मेरे द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किया गया । सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के सर्वे में परिवार का क्रमांक ....(छायाप्रति संलग्न) में उल्लेखित सदस्य अनुसार सही पाया गया/सही नहीं पाया गया । आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज सही/अपूर्ण/सही नहीं पाये गये । अतः राशनकार्ड में सदस्य जोड़ने/अंतरित करने की अनुशंसा की जाती है/आवेदन पत्र अमान्य किया जाता है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम